केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/228 दिनांक: 20.07.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00221
CICOM/R/2017/00705

अपीलकर्ता : श्रीमती उर्मिला देवी,
पत्नी – श्री रामचन्द्र शर्मा,
ग्राम, पो0 व थाना – धरहरा,
जिला – मुंगेर, बिहार ।

निर्णय की तारीख : 20.07.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	31.05.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.06.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	10.07.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	148330/13.07.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 31.05.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से अपने पति श्री रामचन्द्र शर्मा द्वारा आयोग भेजे अपने दिनांक 11 फरवरी, 2017 के पत्र से संबंधित सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल किया है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 31.05.2017 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित श्री कृष्ण अवतार तलवार ने अपने दिनांक 16.06.2017 के प्रतिउत्तर के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया है कि दिनांक 11.02.2017 का पत्र जो आयोग में दिनांक 21.02.2017 को प्राप्त हुआ जिसका डायरी सं. 111598 है जो कि अपील सं. CIC/SERLK/A/2017/111598 के तहत पंजीकृत किया गया है । साथ ही श्री तलवार ने यह भी उल्लेख किया है कि अपील का विषय वस्तु श्री एस.सी.शर्मा, नामित अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय से संबंधित है । श्री एस.सी.शर्मा ने भी पुष्टि की है कि अपील सं. CIC/SERLK/A/2017/111598 उनकी रजिस्ट्री से संबंधित है अत: श्री एस. सी. शर्मा, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय) को आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस. सी. शर्मा, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय), के.सू.आ., नई दिल्ली । - आर.टी.आई. आवेदन की प्रति सहित ।

O/C

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
21 JUL 2017
D. No. Swati
Initials